

संख्या-बी०एस०डी०एम०/कार्य समीक्षा/14/2016- 143 पटना, दिनांक- 23/2/2017
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

अधिसूचना

विषय:- राज्य में कौशल प्रशिक्षण हेतु समरूप प्रक्रियात्मक एवं दर मानक के निर्धारण के संबंध में ।

प्रसंग:- बिहार कौशल विकास मिशन की अधिसूचना संख्या-बी० एस० डी० एम०/कार्य समीक्षा/14/2016-339 दिनांक-23.08.2016 ।

राज्य में चल रहे एवं भविष्य में संचालित होने वाले सभी प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम में एकरूपता के लिए बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा कौशल संबर्द्धन के विभिन्न प्रक्रियाओं एवं विभिन्न दरों का मानक निर्धारित किये जाने हेतु Process एवं Cost norms तैयार किया गया तथा इसे अधिसूचना संख्या- बी० एस० डी० एम०/कार्य समीक्षा/14/2016-339 दिनांक-23.08.2016 के द्वारा अधिसूचित करते हुये अनुसूची-1 के रूप में संलग्न कर कौशल संबर्द्धन से संबद्ध सभी विभागों को परिचरित किया गया ।

(2) अधिसूचना संख्या-339 दिनांक-23.08.2016 के साथ अनुसूची-1 के रूप में संलग्न Process एवं Cost norms के Cost norms की कंडिका-3 निम्न रूप से उल्लेखित है:- "A minimum training duration of 8 hours per day will be assumed for calculation of total number of days for which boarding & lodging amount will be provided"

Boarding and lodging cost at actuals for residential training subject to maximum per trainee per day as per table below:

- Rs.250/- per day per trainee in Patna municipal corporation limits.
- Rs.200/- per day per trainee in other municipal corporations/ municipal board limits.
- Rs.175/- per day per trainee in all other areas including nagar panchayats.

सम्यक विचारोपरान्त अधिसूचना संख्या-339 दिनांक-23.08.2016 के द्वारा अधिसूचित अनुसूची-1 के रूप में संलग्न Process एवं Cost norms के Cost norms की कंडिका-3 को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :- "A minimum training duration of 6 hours per day will be assumed for calculation of total number of days for which boarding & lodging amount will be provided"

Boarding and lodging cost at actuals for residential training subject to maximum per trainee per day as per table below:

Sl. no.	Categories	Payment per trainee
1.	X Category Cities/Town per day	Rs. 300/-
2.	Y Category Cities/Town per day	Rs. 250/-
3.	Z Category Cities/Town per day	Rs. 200/-
4.	Rural Areas and any Area not notified as a municipal/ town area.	Rs. 175/-

(3) इसी प्रकार अधिसूचित Process एवं Cost norms के Cost norms की कंडिका-4.1 (Note) "A minimum training duration of 8 hours per day will be assumed for calculation of total number of days for which stipend amount will be provided" को "A minimum training duration of 6 hours per day will be assumed for calculation of total number of days for which Stipend amount will be provided"से प्रतिस्थापित किया जाता है ।

2.

(4) अधिसूचना संख्या-339 दिनांक-23.08.2016 के द्वारा अधिसूचित अनुसूची-1 Process एवं Cost norms के Cost norms की कंडिका-6 "In case of residential training one time transportation charges will be provided at actuals (to be paid directly to the candidates through their Bank account) subject to a maximum amount of INR 1000/- को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :- "For such cases where BSDM allows residential training outside the State, BSDM will re-imburse one time transportation cost as per actual, subject to a maximum of INR 5000/- per trainee."

(5) Process एवं Cost norms के Cost norms की कंडिका-3.4 एवं 6 में किया गया यह संशोधन मूल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि दिनांक-23.08.2016 के प्रभाव से ही प्रवृत्त माना जायेगा ।

(6) अधिसूचना संख्या-बी0एस0डी0एम0/ कार्य समीक्षा/14/2016-339 दिनांक-23.08.2016 के द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुसूची-1 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।

(दीपक कुमार सिंह)

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक-बी0एस0डी0एम0/कार्य समीक्षा/14/2016- 143 पटना, दिनांक- 23/2/2017
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, कृषि विभाग/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग/महानिरीक्षक, कारा सेवार्य/सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक-बी0एस0डी0एम0/कार्य समीक्षा/14/2016- 143 पटना, दिनांक- 23/2/2017
प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक-बी0एस0डी0एम0/कार्य समीक्षा/14/2016- 143 पटना, दिनांक- 23/2/2017
प्रतिलिपि-मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन